भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AB 563957

यह जनरल स्टाम्प पेपर सेंट जोसेफ्स वेलफेयर सोसायटी
दरबार रोड, पडरौना तह० पडरौना
जिला कुशीनगर फाइल न० जी०5/05/18
संस्थान पत्र के साथ संलग्न है।

सहायक निबंधक

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
14/2/11

तथा पुरूषों तथा कमजोर वर्ग व जनजाति वर्ग के लोगों के समग्र विकास व स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वित करना। महिलाओं के प्रति अपराधों तथा अत्याचारों को रोकने की व्यवस्था। व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम। महिलाओं हेतु उपयुक्त विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा।

5. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला कार्यक्रम एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्यक्रमों के आयोजन एवं विस्तार की व्यवस्था करना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सफल बनाना।

6. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, कापार्ट, नौराड, यूनिसेफ व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रसारित करना।

7. शिक्षा द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना। मैरेज ब्यूरो का संचालन व सामूहिक विवाहों का आयोजन। बालिकाओं, महिलाओं से संबंधित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम के लिए युवतियों को आवश्यक जानकारी देना।

8. समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। जल के गिरते स्तर को रोकने एवं प्राकृतिक वर्षा द्वारा प्राप्त जल का भंडारण कार्य करना। समाज में तकनीकी शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना एवं वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों को विकसित एवं स्थापित करने का कार्य करना। जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र, जल संसाधन तथा स्वजल धारा से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

9. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, सैफ इण्डिया, नौराड, सूडा, अवार्ड, मद्य निषेध विभाग, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत शामिल योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना। खादी ग्रामोद्योग आयोग के समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

10. कृषि की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षणों का आयोजन व उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देना। कृषि कार्य विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड, कृषि बागवानी बोर्ड इत्यादि के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना। किसानों को आधुनिक कृषि संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से कृषि उत्पादन की जानकारी तथा बीज, खाद, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों की जानकारी।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन। समाज के मूक–बधिर, विकलांग, नेत्रहीन, महिलाओं, विधवाओं, बच्चों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना व बाल श्रमिकों को उनका कानूनी अधिकार दिलाना। वैकल्पिक ऊर्जा विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सौर ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना।

12. जन साधारण के हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, छात्रावास, पौधशाला, गोशाला, विश्रामालय, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धा आश्रम, व्यायामशाला की स्थापना करना। देश–प्रदेश की लोककला, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकीकरण हेतु कार्यक्रम। ग्राम्य स्वावलम्बन हेतु उपयुक्त तकनीकी वैदिक विधाओं पर शिक्षण–प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम।

13. मलिन बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आधुनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ, पौधशाला, शुद्ध पेयजल एवं बिजली की समुचित निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करना व जनहित में कार्य करना।

14. अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक स्तरों में सुधार के कार्यक्रम। सफाईकर्मियों के बच्चों की विभिन्न स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

स्मृति--पत्र

1. संस्था का नाम : **सेंट जेवियर्स वेलफेयर सोसायटी**
2. संस्था का पूरा पता : दरबार रोड, पड़रौना, तह0 पड़रौना, जि0 कुशीनगर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :

1. भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जनहितकारी योजनाओं व प्रकल्पों का क्रियान्वयन। युवा, महिला वर्ग हेतु कार्यक्रमों का सृजन। आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों व विमुक्त जनजातियों का समग्र विकास। दलित, शोषित व पीड़ित, असहाय व अशक्त लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा के कार्यक्रम।

2. केन्द्रीय व प्रदेश सरकार की योजनाओं के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण/शहरी/मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक/माध्यमिक/महाविद्यालयों/प्राविधिक/विकलांग/कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सीबीएसई बोर्ड, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अम्बेडकर, आवासीय, मूक बधिर व आश्रम पद्धति सहित विभिन्न स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को साक्षर बनाना। निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों, वृद्धा एवं विधवा आश्रमों, नारी निकेतन, शिशु गृहों की स्थापना करना एवं उनके छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे पिछड़े वर्ग, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार कराने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे–टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिन्टींग टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर्स मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, कुटीर उद्योग, मोटर वाइडिंग, टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रचार–प्रसार करना।

3. सभी को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क करना एवं संक्रामक रोगों से बचने के लिए प्रचार–प्रसार करना। जनता में स्वास्थ्य चेतना विकसित करते हुए स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों के आयोजन व विस्तार की व्यवस्था करना। परिवार कल्याण व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सुस्थापित करना। निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालयों की स्थापना करना। कुष्ठ, क्षय, हेपटाईटिस बी, मधुमेह व एड्स रोग के आधुनिकतम उपायों के प्रचार–प्रसार एवं तत्संबंधी निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व निःशुल्क सचल चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना। परिवार नियोजन एवं मातृ–शिशु कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन तथा निःशुल्क नसबंदी, टीकाकरण, आंख के आपरेशन शिविर, चैरिटेबिल अस्पताल, अपंगता, अंधता, पोलियो, कैंसर अस्पताल, हेल्थ क्लब, व व्यायामशालाओं की स्थापना, चेचक निवारण के केन्द्रों की स्थापना तथा उनका प्रचार–प्रसार करना।

4. महिलाओं की शक्ति व ज्ञानवृद्धि हेतु कार्यक्रम बनाना। महिला व बाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण, अध्ययन/संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था। संस्था द्वारा ग्रामीण व गरीब महिलाओं को आय अर्जन हेतु सक्षम बनाना तथा संबंधित प्रशिक्षण के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्प कला, हस्त शिल्प कला, काष्ठ कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, डान्स कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन डिजायनिंग, फैशन शो, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रानिक्स, पेन्टिंग का प्रशिक्षण देना। विश्व बैंक, मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन नई दिल्ली, हेल्पेज इण्डिया केयर विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित बाल एवं महिला विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक कुरीतियों व महिला उत्पीड़न के निवारण हेतु कदम उठाना। समाज द्वारा बहिष्कृत महिलाओं

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

15. आयुर्वेद व परंपरागत औषधि ज्ञान को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षण व विकास हेतु कार्यक्रमों का संचालन। दैवी व प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, हैजा, प्लेग विभिन्न प्रकार की बीमारी, महामारी व संक्रमण काल में शासन, प्रशासन व जनता का सहयोग करना।
16. देश–विदेश से आए विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु निशुल्क धर्मशालाओं का निर्माण करना।
17. खेलों को बढ़ावा, खेलों के प्रति गांवों व शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना। संस्था के माध्यम से खेलों के मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण व विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।
18. राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, पर्यावरणीय व अन्य समस्त समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दृश्य–श्रव्य उपकरणों के माध्यम से कार्यक्रम। संबंधित क्षेत्रों में चेतना जागरण।
19. राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिविरों, सेमिनारों, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी का आयोजन।
20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेन्ट, चिकित्सा व संगीत के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना। समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों को संस्था के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।
21. विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने में सहायता करना तथा उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र उपलध कराते हुए उनकी जीविका की व्यवस्था करना। आवासीय विकलांग विद्यालय व मंद बुद्धि बाल विद्यालयों की स्थापना करना। रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। निःशुल्क रक्तदान शिविर नशाबन्दी हेतु गोष्ठी व जागरूकता कार्यक्रम। मद्य निषेध तथा मादक पदार्थों के सेवन करने वालों हेतु निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना। वृक्ष, जैविकीय तकनीकियों को ग्रामीण, स्तर पर सुलभ कराना। पालीथिन के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु कार्यक्रम। हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार प्रसार करना। दहेज प्रथा, अंधविश्वास के सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध अभियान चलाना। जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, जैव तकनीक, देशी बीज व प्राकृतिक जल संसाधनों का संरक्षण व विकास। गो–आधारित ग्रामीण भू नगरीय सतत विकास प्रबन्धन गाशाला एवं गोउत्पादों के प्रतिस्थापन हेतु कर्यक्रम।
22. संयुक्त राष्ट्र संगठन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हुए संबंधित चेतना जागरण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
23. सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने हेतु जनता को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना। स्वयं सहायता समूहों के निर्माण द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन।
24. पशुओं द्वारा जैसे–कुत्ता, बिल्ली, सियार, काटने पर प्रतिरोधक दवा का उपयोग करना, संबंधित विभाग की अनुमति से। प्रतिबंधित पशुओं की अवैध हत्या तथा पर्यावरण मित्र पशु पक्षियों के सम्यक संरक्षण का उपाय सामाजिक प्रशासनिक स्तर से ताल मेल बिठाकर करना। जीव–जंतुओं की रक्षा के लिए जीव–जंतु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों का संचालन, जीव–जंतुओं के प्रति दयाभावना उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम। जीव जन्तुओं के कल्याण हेतु कार्य करना। संस्था के विकास में सहायक वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत आते हों।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर